




कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा माननीय कुलपति महोदया के आदेश दिनांक: 10 सितम्बर, 2022 के अनुक्रम में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक: 26 फरवरी, 2021 के निर्णयानुसार प्रायोगिक/मौखिक परीक्षाओं में 80% प्राप्तांक की बाध्यता समाप्त की जाती है। साथ ही ऐसे छात्र/छात्राएँ, जिनको प्रायोगिक/मौखिक परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्रदान किये जायेंगे, उनकी उत्तरपुस्तिकाएँ विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।


उक्त व्यवस्था सत्र 2022-23 की परीक्षाओं से प्रभावी मानी जायेगी।

भवदीय,


(एस0एल0पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01. माननीय कुलपति जी।
02. निदेशक शैक्षणिक, विश्वविद्यालय परिसर।
03. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
04. प्रभारी वेबसाइट को तदनुक्रम में तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
05. सम्बन्धित पत्रावली।


कुलसचिव